न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 69/2013/अपील

सीताराम पुत्र मोहन जाति अहीर निवासी लामिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 श्रवण
2 भींवा
3 मेवा
4 रामेश्वर
5 तेजपाल
} पुत्रगण मोहन जाति अहीर निवासीगण ग्राम लामिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

6 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 463दिनांक 23.06.1989 वाके ग्राम लामिया द्वारा न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़

वकील अपीलांट श्री सोहनलाल

निर्णय **दिनांकः—08.11.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 5 एक ही पूर्वज मोहन पुत्र गोविन्दा अहीर के वारिसान है। वंशावली निम्न प्रकार से हैः—

मोहन पुत्र गोविन्दा

सोनी पत्नी	श्रवण	भींवा	मेवा	रामेश्वर	सीताराम	तेजपाल
मृत	रेस्पो. 1	रेस्पो. 2	रेस्पो. 3	रेस्पो. 4	अपीलांट	रेस्पो. 5

वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 63 रकबा 87 बीघा 1 बिस्वा तथा खाता संख्या 64 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा ग्राम लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित रही है, जिनमें अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 5 का पिता मोहन पुत्र गोविन्दा सह खातेदार रहा है। जिसकी मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामांतकरण संख्या 463 दिनांक 23.06.89 को भरा गया। जिसमें अपीलांट के नाम सीताराम के स्थान पर सेडूराम नाम अंकित कर दिया गया, जबकि मोहन पुत्र गोविन्दा के सेडूराम नाम का कोई पुत्र नहीं है। उक्त नामांतकरण को उसी दिन अधीनस्थ तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा बिना कोई जांच किये बिना स्वीकार किये जाने की आज्ञा पारित कर दी। उपरोक्त नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा विधि एवं नियमों की कोई पालना नहीं की गयी। मात्र आनन फानन में ही केवल मात्र "नवीन अंकन स्वीकार है" अंकित करते हुए नामांतकरण तस्दीक कर दिया गया। अपीलांट की माता सोनी देवी का देहान्त होने के पश्चात् उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 1016 ग्राम पंचायत लामियां द्वारा अपीलांट एवम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के नाम तस्दीक किया गया। जिसमें

अपीलांट का नाम सही रूप से अंकित है। नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। जिसके कारण उसे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का मौका ही नहीं मिला। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 463 दिनांक 23.06.1989 द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ़ निरस्त फरमाया जाकर सेडूराम पुत्र मोहन के स्थान पर अपीलांट का नाम अंकित करते हुए नामांतकरण तस्दीक किये जाने की आज्ञा पारित की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण राजस्व अभियान कैम्प लामियां के दौरान खातेदार मोहन पुत्र गोविन्दा के फौत होने पर उनके वारिसान के हक में विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों के मुताबिक चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण में अपीलांट का नाम सीताराम के स्थान पर सेडूराम गलत रूप से तस्दीक कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर अपीलांट का नाम सीताराम व सेडूराम अंकित होने के सम्बंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। चुनौतिग्रस्त नामांतकरण राजस्व अभियान कैम्प के दौरान तस्दीक किया गया है। अपीलांट सीताराम द्वारा चुनौतिग्रस्त नामांतकरण में अंकित नाम सेडूराम के स्थान पर सीताराम अंकित करवाने बाबत अभियान के दौरान कैम्प स्थल पर आवेदन पेश करने व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नाम में संशोधन करवाने बाबत आवेदन पेश करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा चाहे गये अनुतोष की पुष्टि हेतु सम्पूर्ण दस्तावेजात के अभाव में अपीलांट का नाम सीताराम के स्थान पर सेडूराम दर्ज होने पर अपील के माध्यम से चुनौति देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। कानूनन रिकार्ड दुरूस्ती हेतु भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार रिकार्ड दुरूस्त करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलांट सक्षम स्तर पर आवेदन पेश कर रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.11.11 18:28:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: